भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1995

01 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"ई-बसें"

1995. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है कि ई-बसों को अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर भीड़-भाड़ और यातायात को किस प्रकार सुव्यवस्थित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि सीएनजी/डीजल बसों की भांति प्रदान की जाने वाली फ़ेरियों को बनाए रखने के लिए परिचालन और संचालन में सीएनजी/डीजल वाहनों की मूल संख्या की तुलना में लगभग दोगुनी संख्या में ई-बसों की आवश्यकता होती है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): जी नहीं। ई-बसों के अंगीकरण के लिए भीड़-भाड़ और यातायात को राष्ट्रीय स्तर पर सुव्यवस्थित करने की भारी उद्योग मंत्रालय की कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार ने भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ़ेम इंडिया) स्कीम, चरण-II को 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से प्रारम्भ किया है। इस स्कीम में आमजन के लिए किफायती और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने पर अधिक जोर दिया गया है और यह मुख्यतः सार्वजनिक परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहनों अथवा तिपहिया, चौपहिया और बस सेगमेंट में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत वाहनों पर लागू है। किन्तु, निजी स्वामित्व वाले पंजीकृत दुपहिया वाहनों को भी एक बड़े सेगमेंट के रूप में इस स्कीम में शामिल किया गया है।

(ग): भारी उद्योग मंत्रालय इस प्रकार के अध्ययन नहीं कराता।

***